117.13 केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अधिशेष निधियों का निवेश

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31.08.2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके जरिए उपर्युक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचुअल फंड में सीपीएसई को अपनी अधिशेष निधियों के निवेश की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. उपर्युक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 31.08.2007 का कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य एजेंसियों से किसी सार्वजनिक क्षेत्र म्युचुअल फंड की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगते हुए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को बहुत से संदर्भ प्राप्त हुए। मामले की जांच की गई है और अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश दिया गया है कि ''सार्वजनिक क्षेत्र म्युचुअल फंड से सेबी द्वारा विनियमित और उसके साथ पंजीकृत ऐसे म्युचुअल फंड अभिप्रेत है, जहां उस म्युचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में भारत सरकार, इसके वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास व्यक्तिगत तौर पर अथवा सामूहिक तौर पर 50% से अधिक की इक्विटी हिस्सेदारी/शेयरधारिता है''।

3. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक उद्यमों को उपयुक्त सलाह दें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं.डीपीई/11(47)/2006–वित्त, दिनांक 04.12.2007)

******